Entry (1)

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2017/4923

(95)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.,भोपाल,केम्प

रिवीजन कमांक– /17–18

आहसीन अली आयु लगभग–48 वर्ष
पुत्र स्वर्गीय श्री मोहसिन अली
निवासी–सिटी सेन्टर,तलैया थाने के सामने
सुल्तानिया रोड भोपाल
एवं कास्तकार ग्राम पिपलिया कुंन्जनगढ
तहसील हुजूर जिला भोपाल ------- निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

1 जितेश पारवानी वयस्क
पुत्र श्री किशनचन्द्र पारवानी पुत्र ना मालूम वयस्क
~~दोनो~~ निवासीगण ईदगाह हिल्स भोपाल
एवं प्रधान कार्यालय मैसर्स सिटी बिल्डर्स एण्ड
इन्वेस्टर,अपेक्स बैंक के सामने, मालवीय नगर
(2) भोपाल
मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष भोपाल ------- अनावेदकगण

रिवीजन अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

रिवीजनकर्ता की ओर से यह निगरानी माननीय अधिनस्थ न्यायालय राजस्व राजस्व निरीक्षक,पटवारी हल्का नम्बर–23, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा सीकंन पक्षकार कमांक–32/अ–12/17–18 में पारित सीमाकंन आदेश एवं सीमाकंन दिनांक 23.11.2017 से असंतुष्ट होकर सत्य एवं ठोस आधारो पर प्रस्तुत है :–

निगरानी के तथ्य एवं आधार

1. यह कि निगरानीकर्ता के वैधानिक स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा कमांक–86,रकवा 0.610 हेक्टेयर,खसरा कमांक–98 रकवा 2.860 हेक्टेयर,खसरा कमांक–99/1 रकवा 0.810 हेक्टेयर,खसरा कमांक–99/3 रकवा 0.040 हेक्टेयर एवं खसरा कमांक–103/1/2,रकवा 0.030 हेक्टेयर स्थित ग्राम पिपलिया कुन्जनगढ तहसील हुजूर जिला भोपाल में है और उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बतोरे भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी के आवेदक/निगरानीकर्ता के नाम दर्ज है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा./2017/4923 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-11-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी। "चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 29-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	